

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

रायपुर, दिनांक /01/2015

क्रमांक एफ 03-21/31/स्था./2014 :- राज्य शासन एतद्वारा श्री जी. पी. पाण्डे, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, श्री एस. के. तिवारी, तत्का. प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सूरजपुर तथा श्री एस. आर. चतुर्वेदी, तत्का. उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग, सूरजपुर को रेहर एनीकट/डायवर्सन के निर्माण कार्य में की गई वित्तीय एवं भौतिक अनियमितता हेतु छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। उक्त कृत्य हेतु इन्हें छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

2/ उपरोक्त अधिकारियों को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर. के. नारद)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
रायपुर, दिनांक 07/01/2015

क्रमांक एफ 03-21/31/स्था./2014
प्रतिलिपि:-

- 331 332
01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
 02. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर
 03. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर
 04. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग अंबिकापुर/मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
 05. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर
 06. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर
 07. संबंधित अधिकारी श्री जी. पी. पाण्डे, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, श्री एस. के. तिवारी, तत्का. प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सूरजपुर तथा श्री एस. आर. चतुर्वेदी, तत्का. उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग, सूरजपुर,
द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर
 08. आदेश फोल्डर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग